राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	606/2018 प्रभु / बरदी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/10/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष वाद प्रस्तुत होते ही लोक अदालत में लेकर सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दी गयी जबकि ऐसा करने से पूर्व विधि द्वारा निर्धारित क़ानूनी प्रक्रियाओ का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नही लिया गया अत: उभयपक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। जिस पर रेस्पो. के अधिवक्ता ने लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को पुन: निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया जावे एवं दोनों पक्षों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु दिनांक नियत कर दी जावे जिसमे रेस्पो. को कोई आपत्ति नही है। उभयपक्षों के अधिवक्ताओ द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण को पुन: निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु सहमती जाहिर की गयी है, अत: प्रकरण का गुणावगुण पर कोई परीक्षण नही करते हुये मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 19/06/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विचाराधीन वाद में विधिक प्रक्रियाओ का पालन करते हुये उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06/10/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 6/10/21 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)